

185

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक

/2017

263-117

राविन्द्र कुमार पिता राधानी प्रसाद निवासी ग्राम सिली
तहसील गुनौर जिला पुन्ना म.प्र.

आवेदक

विरुद्ध

श्री राविन्द्र कुमार
द्वारा आज दि 4-1-17 को
प्रस्तुत

व. क.
सरक ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. सरपंच ग्राम पंचायत सिली जनपद पंचायत गुनौर जिला पुन्ना ।
2. सचिव ग्राम पंचायत सिली जनपद पंचायत गुनौर तहसील गुनौर जिला पुन्ना म.प्र.

अनावेदकगण

निगरानी मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पुन्ना प्रकरण क 12/अपील /बी -121/15-16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.16 के विरुद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी नं 541 रकवा 1.781 हे. के अंश भाग 60x60 फुट पर आवेदक का कब्जा होने के वावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। जिस हेतु आवेदक द्वारा तहसीलद न्यायालय तहसीलदार गुनौर के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस पर से तहसीलदार गुनौर ने राजस्व प्रकरण क 247/बी-121/13-14 दर्ज किया गया जिसमें आवेदक को स्थगन भी प्राप्त किया जिसमें आवेदक के पक्ष में रिपोर्ट भी संलग्न है। उसके वावजूद भी तहसीलदार महोदय ने आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 22.9.15 से निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के समक्ष अपील क 12/बी-121/15-16 प्रस्तुत की गई जो भी अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से



श्री
राविन्द्र
कुमार
द्वारा
4-1-17

